भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2594
उत्तर देने की तारीख 19 दिसंबर, 2023
28 अग्रहायण, 1945 (शक)

खेल अवसंरचना सुविधाओं का विकास

2594. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ. डी. एन. वी. सेंथिल कुमार एस. :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खेल अवसंरचना का विकास नहीं किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) देश में खेल अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए चल रही वर्तमान योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास शहरों की वर्तमान खेल अवसंरचना के विकास हेतु धनराशि प्रदान करने के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु में कोई खेल अवसंरचना विकसित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की स्कूलों में खेल अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है और महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु में विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना विकसित करने के लिए कौन-कौन से अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (च) : जी नहीं । 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं सहित खेलों के अवसंरचना विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों का होता है । केंद्र सरकार खेल अवसंरचना की महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है ।

सरकार ने उदीयमान खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त खेल अवसंरचना और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की हैं । इसे मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों जैसे खेलो इंडिया स्कीम, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धन स्कीमों के माध्यम से प्राप्त किया गया है ।

खेलो इंडिया स्कीम के "खेल अवसंरना का निर्माण और उन्नयन" घटक के तहत यह मंत्रालय खेल उपकरण सहित खेल परिसर, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी मैदान, सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान, बहुउद्देशीय हॉल, तैराकी आदि जैसे बुनियादी खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है । इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के तहत सरकार देश भर में खेल सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन के लिए विभिन्न संस्थानों और व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती है ।

अब तक, इस मंत्रालय ने देशभर के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों की 341 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है । खेलो इंडिया स्कीम के तहत संस्वीकृत खेल अवसंरचना का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है ।

खेलो इंडिया स्कीम एक मांग-आधारित स्कीम है । राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सरकारों और स्कूलों सहित अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर स्कीम के तहत उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और धनराशि की उपलब्धता के अधीन वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाता है ।

*****